गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 129 वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 26–6–2012 का कार्यवृत्त

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 129 वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 26–6–2012 को सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित अधिकारियों/सदस्यों द्वारा भाग लिया गया::–

1– श्री संतोष कुमार यादव, अध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद ।

2– श्री संतोष कुमार यादव, उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद ।

3. सुश्री अपर्णा यू0 जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद ।

4. श्री जितेन्द्र सिंह, नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद ।

5. श्री डी0सी0गुप्ता, सहयुक्त नियोजक, मेरठ, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,उ.प्र. लखनऊ के प्रतिनिधि ।

6. श्री हरेनारायण शुक्ल, संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, मेरठ –विशेष सचिव, वित्त, उ.प्र. शासन, लखनऊ के प्रतिनिधि ।

7. श्री सी0के0 त्यागी, अधीक्षण अभियन्ता,, उ.प्र. जल निगम, गाजियाबाद–प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. जल निगम, लखनऊ के प्रतिनिधि ।

8– श्री एन0के0 जौहरी, ए0टी0पी0–चीफ कोआर्डिनेटर प्लानर, एन.सी.आर. सेल, गाजियाबाद के प्रतिनिधि ।

9– श्री विकास कुमार शर्मा, संयुक्त आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, गाजियाबाद – विशेष आमंत्री ।

10– श्री राकेश यादव, गैर सरकारी सदस्य, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद

11– श्रीमती सुषमा रानी, गैर सरकारी सदस्य, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद

बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व अध्यक्ष महोदय एवं अन्य सदस्यों का स्वागत किया गया एवं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई। बैठक के एजेन्डा बिन्दुओं पर विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त सर्व–सम्मति से निम्नवत् निर्णय लिये गये :–

मद सं0	विषय	निर्णय
1/129	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनॉक 25–4–2012 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	बोर्ड द्वारा दिनॉक 25–4–2012 के कार्यवृत्त की पुष्टि सर्व सम्मति से की गई ।

2/129		गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनॉक 25–4–2012 के कार्यवृत्त पर अनुपालन आख्या।		बोर्ड द्वारा दिनॉक 25–4–2012 के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या अवलोकित की गई ।
3/129		गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की आवासीय सम्पत्तियों की सैक्टर दर के पुर्ननिर्धारण के संबंध में ।		प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ । गैर सरकारी सदस्य, श्री राकेश यादव द्वारा आवासीय सम्पत्तियों के सैक्टर दर को एक ही बार दो–तीन गुना बढाकर जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के बराबर किये जाने पर आपत्ति दर्ज की गई । श्री यादव की आपत्ति का संज्ञान बोर्ड द्वारा लिया गया । किन्तु प्रश्नगत दरें पूर्व में ही दिनॉक 24–5–2012 से प्रभावी होने के कारण बोर्ड द्वारा श्री राकेश यादव, गैर सरकारी सदस्य के मन्तव्य को अंकित करने के निर्देश देते हुए प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।
4/129		गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अर्जन संबंधी कार्यों का सुचारू रूप से निस्तारण हेतु प्राधिकरण में नायब तहसीलदार का पद स्वीकृत किये जाने के संबंध में ।		विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रतिनियुक्ति पर नायब तहसीलदार तैनात करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।
5/129		गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के गोविन्दपुरम आवासीय योजना के अन्तर्गत रोड संख्या 4 में पड रही कब्रिस्तान की भूमि से संबंधित गतिरोध के निस्तारण के संबंध में ।		विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।
6/129		गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में लैण्ड बैंक विकसित करने हेतु भूमि अधिग्रहण किये जाने		विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

		के संबंध में ।		
7/129		गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत राजस्व ग्राम महीउददीनपुर कनावनी में ईशान इंटरनेशनल एजुकेशनल सोसायटी की भूमि के संबंध में बोर्ड बैठक दिनॉक 20–02–03 में पारित निर्णय पर पुर्नविचार के संबंध में ।		विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।
8/129		प्राधिकरण की अनावासीय/ग्रुप हाऊसिंग सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु प्रकिया निर्धारित किये जाने के संबंध में ।		प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि 500 वर्ग मीटर से कम अनावासीय सम्पत्तियों एवं पेट्रोल पम्प के भूखण्ड का निस्तारण टू बिड सिस्टम पर न करते हुए विद्यमान शासनादेशानुसार नीलामी पद्धति से किया जाये तथा 500 वर्ग मीटर से अधिक अनावासीय सम्पत्तियों के लिए उपाध्यक्ष द्वारा समिति का गठन करके विस्तृत प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।
9/129		प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में किये जा रहे अनुरक्षण हेतु अनुराक्षण शुल्क एवं वाटर एवं सीवरेज कनैक्शन चार्जेज की दरों के पुर्ननिर्धारण के संबंध में ।		विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।
10/129		प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में आवंटित भूखण्डों/भवनों के आवंटियों द्वारा समय से कब्जा न लिये जाने की फलस्वरूप लिये जाने वाले चौकीदार		विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

		शुल्क के संबंध में ।	
11/129		एन0एच–24 ग्रेटर नोएडा सम्पर्क मार्ग के निर्माण में बाधित भू–भाग से आबादी की पुर्नस्थापना ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।
12/129		भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 में संशोधन के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि संशोधन प्रस्तावों का विस्तृत अध्ययन निम्न समिति द्वारा कर लिया जाये :– 1– सचिव, गा0वि0प्रा0 2– मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक, गा0वि0प्रा 3– सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, मेरठ 4– नगर नियोजक,श्री गौड, गा0वि0प्रा समिति द्वारा भवन उपविधि 2008 एवं शमन उप विधि 2009 में संशोधनों का विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर उपाध्यक्ष के माध्यम से शासन को प्रेषित किया जाये । यह भी निर्णय लिया गया कि शमन के संबंध में शिथिलीकरण के प्रस्ताव दिनॉक 26–6–2012 तक निर्मित निर्माणों पर ही प्रभावी होगें ।
13/129		मानचित्र स्वीकृति के समय बाह्य विकास शुल्क को किश्तों में लिये जाने की सुविधा समाप्त किये जाने के संबंध में ।	विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

14/129		शासन की अधिसूचना संख्या 5899/8-3-09-214 विविध /09 दिनॉक 14-9-10 जो प्रदेश के विकास प्राधिकरणों हेतु ई0डब्लू0एस0 तथा एल0आई0जी0 तथा अन्य आय वर्गों को एफोर्डेबिल हाऊसिंग उपलब्ध कराने संबंधी जारी की गई थी, में प्रस्तावित संशोधन ।		विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया एवं शासन को स्वीकृति हेतु सन्दर्भित किये जाने का भी निर्णय लिया गया ।
15/129		गाजियाबाद महायोजना -2021 के अन्तर्गत मेरठ रोड के उत्तर-पश्चिम में स्थित जोन-1 की परिक्षेत्रीय योजना के संबंध में ।		प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।
16/129		गाजियाबाद में क्रियान्वित की जा रही हाईटैक / इंटीग्रेटेड टाऊनशिनप योजनाओं की प्रगति के संबंध में ।		विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अवलोकित किया गया ।
17/129		गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर सहायक अभियोजन अधिकारी की नियुक्ति के विषय में ।		विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।
18/129		गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के विरूद्ध न्यायालय में विचाराधीन वादों का लीगल आडिट कराये के विषय में ।		वर्तमान शासनादेश के आलोक में पुनरीक्षित कर विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।
19/129		शासनादेश संख्या 1106/9-आ-1-(आ0ब0) बोर्ड बैठक/ 2001 दिनॉक 01-3-2001 के बिन्दु-18 में इंगित बिन्दुओं पर सूचना ।		विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अवलोकित किया गया ।

20/129		गाजियाबाद नगर निगम की भूमि पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा संयुक्त उपक्रम स्थापित करने के विषय में ।		विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।
21/129		प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में विद्यालयों / शैक्षिक संस्थाओं को खेल कूद मैदान के लिए अनुज्ञप्ति पर आवंटित भूमि की दरें निर्धारित किये जाने के संबंध में ।		विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।
22/129		वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद के अनुरोध पर गाजियाबाद नगर में सुरक्षा, यातायात व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था हेतु एक इनोवा व चार बुलेरो/ सुमो कार (टैक्सी) उपलब्ध कराये जाने के संबंध में ।		विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।
23/129		वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद को यातायात व्यवस्था एवं नगर में सडक जाम की स्थिति से बचने हेतु ट्रेक्टर हाइड्रोलिक लिफ्टर क्रय करने हेतु पुलिस विभाग को धनराशि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में ।		विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।
24/129		गाजियाबाद महायोजना 2021 में ग्रीन बैल्ट भू–उपयोग के अन्तर्गत ग्राम प्रहलाद गढी के खसरा संख्या 675 (आंशिक) की भूमि पर प्रस्तावित पेट्रोल		विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

		पम्प/ फिलिंग स्टेशन की अनुमति विशेष अनुमति से अनुमन्य कियाओं के अन्तर्गत अनुमन्य किये जाने के संबंध में ।		

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गई ।

26/6/12

(आर0के0 सिंह)
सचिव
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

(संतोष कुमार यादव)
उपाध्यक्ष
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

अनुमोदित

(संतोष कुमार यादव)
अध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण